अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-2514/9-1-2023-04सा/2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर, 2023।

विषयः-उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना से संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक नई योजना **'वंदन' (VANDAN)** प्रारम्भ की जा रही है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु **'वंदन' (VANDAN) योजना** के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश (Guideline) के अनुसार प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

2.1 उद्देश्य

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/ आगन्तुकों को मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है।

शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत नगर निगमों में अवस्थित ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधायें पहले से ही विकसित है। अतएव इस योजना के अन्तर्गत अपेक्षाकृत उपेक्षित/अल्प विकसित नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं को सम्मिलित किया जायेगा।

2.2 कार्यक्षेत्र

प्रस्तावित कार्य उन्ही सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर किया जायेगा, जो निकाय (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) के क्षेत्राधिकार में हो तथा जिन पर किसी प्रकार का विवाद न हो। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3 दिशा-निर्देश

(i) इस योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यो को प्रस्तावित किया जायेगा, जो उपेक्षित रह गया हो तथा किसी अन्य विभाग की योजना/कार्यक्रम अथवा नगर विकास विभाग की दूसरी योजनाओं में प्रस्तावित अथवा स्वीकृत नहीं हो। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नही की जायेगी।

(ii) प्रस्तावित कार्य-स्थलों का प्रारम्भिक छाया चित्र/निकाय के प्रस्तावित स्थल पर भू-स्वामित्व एवं कब्जे का विवरण आदि प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत मात्र निकाय की भूमि/सार्वजनिक भूमि पर अवस्थित स्थलों पर ही विकास कार्य किया जाएगा। निजी भूमि अथवा निजी भवन पर नगर विकास विभाग द्वारा कोई सरकारी धन व्यय नही किया जायेगा।

(v) प्रस्ताव के पूर्व भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हुए प्रमाण-पत्र तथा संबंधित भूमि के वर्तमान अभिलेख-खसरा खतौनी आदि अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा।

(vi) नगर विकास विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा। इस प्रकार के कार्यो का उपयोग किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने निजी उपयोग में नही लाया जायेगा तथा इनसे निजी तौर पर किराया वसूलना, निजी प्रयोग करने का कार्य अनुमन्य नही होगा।

(vii) ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो पुरातत्व विभाग से संरक्षित हो, अथवा पुरातत्व विभाग से संरक्षित स्थल के निकट इस योजना के अन्तर्गत कार्य कराया जाना हो तो प्रस्ताव तैयार किये जाने के पूर्व पुरातत्व विभाग से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(viii) सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मात्र अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कार्य किया जायेगा।

(ix) इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित स्थलों की नियमित रूप से साफ-सफाई एवं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्मित पुरूष एवं महिला शौचालयों की स्वच्छता बनाये रखे जाने हेतु समुचित व्यवस्था संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। ऐसे चिन्हित स्थलों पर यदि अभी भी पुरूष एवं महिला शौचालय निर्मित नही है, तो शीघ्र एस0बी0एम0 के अन्तर्गत अलग-अलग पुरूष एवं महिला शौचालय बनवाते हुए उसके रख-रखाव तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

(x) इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित स्थलों पर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार डस्टबिन (कूड़ेदान) की स्थापना करते हेतु समुचित रूप से संबंधित निकाय द्वारा सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2.4 योजना के घटक

नगरीय क्षेत्र (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/आगन्तुकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। परियोजना के अंतर्गत कार्यों का चयन स्थानीय आवश्यकतानुसार व अन्य किसी योजना से आच्छादित न होने की दशा में ही किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जायेंगेः-

(i) सम्पर्क मार्ग (Link Road)– मुख्य मार्ग से ऐसे महत्वपूर्ण स्थल तक के लिए उपलब्ध सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 निर्माण। आवश्यकतानुसार सम्पर्क मार्ग के साथ नाली निर्माण का कार्य भी कराया जा सकता है। नाली निर्माण का कार्य राज्य सेक्टर की जल निकासी योजना से कराया जायेगा।

(ii) विश्रामालय (Hall)–ऐसा स्थल जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जहाँ पर स्थानीय के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों अथवा पूरे भारत से लोगों का आवागमन होता रहता है, वहाँ रात्रिकालीन विश्राम के लिए भूमि की उपलब्धता के अनुसार पक्का हॉल भी बनाया जा सकता है।

(iii) वाटर किओस्क (Water Kiosk)–शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सुरक्षित और हाईजेनिक वाटर किओस्क (Water Kiosk) की स्थापना। उपर्युक्त कार्य परियोजना लागत के अधिकतम 02 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत किये जायेंगे।

(iv) छादक (Shade)-ऐसे स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/आगन्तुकों को धूप एवं बरसात से बचाव तथा सूक्ष्म धार्मिक अनुष्ठान किये जाने के उद्देश्य से जगह की उपलब्धता के आधार पर छादक (Shade) का निर्माण।

(v) साइनेज एवं प्रकाश-निकाय के मुख्य चौराहे एवं स्थल की ओर जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर स्थायी प्रकृति के मैटेरियल से निर्धारित मानक के अनुसार साइनेज स्थापित किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त प्रकाश की समुचित एवं स्थायी व्यवस्था हेतु एल0ई0डी0 लाइट अथवा विहित प्राविधानों एवं नियमों के अंतर्गत सोलर पैनल की स्थापना की जायेगी। उपर्युक्त दोनों कार्य परियोजना लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत किये जायेंगे। संबंधित निकाय का अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से यह प्रमाणित करेगा कि उक्त कार्य, राज्य वित्त मद/केन्द्रीय वित्त मद/निकाय फण्ड में उपलब्ध धनराशि से कराया नहीं जा सकता।

(vi) बेन्च (Bench)—आर0सी0सी0 पर रेड स्टोन पत्थर की क्लैडिंग/स्टील से बने स्थायी प्रकृति के उच्च गुणवत्ता के बेन्च **(Bench)** की स्थापना। उपर्युक्त कार्य परियोजना लागत के अधिकतम 02 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत किये जायेंगे।

(vii) शहीद स्थल/स्मृति पार्क का सौन्दर्यीकरण - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा अन्य युद्धों में शहीद हुए सेनानियों की स्मृति में निर्मित शहीद स्थल/स्मृति पार्क का स्थायी प्रकृति के सौन्दर्यीकरण।

(viii) इंटरलाकिंग (Interlocking)- यथाआवश्यकता परिक्रमा इत्यादि के लिये इंटरलाकिंग की स्थापना किया जा सकता है, परन्तु सम्पर्क मार्ग के रूप में इंटरलाकिंग रोड का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा, परन्तु सी.सी.रोड बनाया जा सकेगा।

(ix) घाटों का सौन्दर्यीकरण- चयनित स्थल, यदि किसी नदी के किनारे अवस्थित हो, तो घाटों का स्थायी प्रकृति का सौन्दर्यीकरण कराया जा सकेगा।

(x) पर्यटक सूचना केन्द्र- इस योजना के अन्तर्गत चयनित स्थल पर, यदि पर्यटकों/श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक है, तो आगन्तुकों की सुविधा एवं स्थल से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी हेतु पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा। परन्तु भीड़-भाड़ की तिथियों पर इसे संचालित करने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा।

निकायों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त उल्लिखित समस्त कार्यो को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करें, अपितु स्थानीय आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर उपर्युक्त कार्यो में से किसी विशिष्ट कार्यों को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा। किसी स्थान विशेष पर यदि उपर्युक्त कार्यो में से कोई कार्य या सुविधा पहले से उपलब्ध है तो निकाय द्वारा उपर्युक्त कार्य/सुविधा को छोड़कर उपर्युक्त वर्णित कार्यो में से अन्य कार्यो को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

2.5 योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य नही किये जायेंगेः-

(i) निजी/ट्रस्ट की भूमि पर अवस्थित निजी धार्मिक स्थलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव नही किया जायेगा।

(ii) धार्मिक भवनों के जीर्णोद्धार का कार्य।

(iii) शमशानघाट एवं कब्रिस्तान आदि में कार्य/आन्तरिक अथवा बाह्य भाग पर कार्य।

(iv) प्रस्तावित स्थल के मुख्य द्वार/बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।

(v) शौचालयों का निर्माण (अन्य योजना यथा-स्वच्छ भारत के अन्तर्गत कराया जायेगा)

2.6 अभिसरण (Convergence)

पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग के विभिन्न योजनाओं से अनुमन्य कार्य तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वृक्षारोपण का कार्य अभिसरण (Convergence) के माध्यम से किया जायेगा।

2.7 परियोजनाओं का चयन

(क) सर्वप्रथम संबंधित नगर निकाय द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों एवं उन पर विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों को संलग्न **चेकलिस्ट** के अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगा। ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर वर्तमान में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं को सूचीबद्ध किया जायेगा। यह कार्य कब कराये गये थे, संबंधित वर्ष का उल्लेख करते हुए कार्य की वर्तमान स्थिति का भी उल्लेख किया जाएगा।

स्थल पर वर्तमान में कौन-कौन सी आधारभूत अवस्थापना सुविधायें आवश्यक हैं, उनको सूचीबद्ध करते हुए पूर्व से विकसित अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत जो अवशेष कार्य कराये जाने हैं, उनकी सूची तैयार करायी जाएगी।

उपरोक्तानुसार गैप्स के रूप में चिन्हित कार्यों हेतु भूमि की उपलब्धता आदि देखते हुए आगणन तैयार कराया जाएगा और निकाय क्षेत्र में पड़ने वाले योजना से आच्छादित स्थलों में प्रस्तावित कार्यों की सूची सुसंगत विवरणों सहित संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) ऐसे स्थलों के विकास हेतु किन-किन कार्यों को कराया जाना आवश्यक है एवं उनमें से कितने कार्य नगर विकास विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से कराये जा सकते हैं, इसका चिह्नांकन संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप-जल निकासी का कार्य, राज्य सेक्टर की सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत, पेयजल का कार्य-नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत, झील/पोखर/तालाब का सौन्दर्यीकरण-नगरीय झील/पोखर/तालाब का सौंदर्यीकरण योजना के अन्तर्गत कराया जायेगा।

उपर्युक्त कार्यों के संबंध में चयनित स्थल से संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नियमानुसार डी0पी0आर0 तैयार कराकर नगर विकास विभाग के राज्य सेक्टर की पूर्व से संचालित उक्त अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से शासन से अनुरोध किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त के अतिरिक्त शेष अन्य कार्य जो किसी दूसरे विभाग अथवा नगर विकास विभाग की अन्य योजनाओं से आच्छादित नहीं हो सकती, वह इस योजना के अन्तर्गत कराये जायेंगे।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के चयन हेतु निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा जनपद में स्थल का चयन निम्न प्राथमिकता निर्धारित करते हुए की जाएगी :-

चयन समिति

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय	सदस्य/सचिव
3	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/प्रोजेक्ट मैनेजर, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, (शहरी)	सदस्य
5	जनपद की निकायों के समस्त अधिशासी अधिकारी	सदस्य

6	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	सदस्य
7	जिलाधिकारी की अनुमति से यथावश्यकता नामित अन्य अधिकारी	सदस्य

(ड़) चयन मानदण्ड

(i). जनपद में सर्वाधिक मात्रा में श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा मानित पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल को चयन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। स्थानीय परम्परा एवं वास्तुकला/ऐतिहासिक पहलुओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(ii). देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में यदि किसी निकाय में आजादी के लिए संघर्ष से जुड़ी किसी घटना से संबंधित स्थान हो और वहाँ पर्याप्त मात्रा में अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया हो तो चयन समिति द्वारा उपर्युक्त पात्र निकायों में से ऐसे स्थल का चयन कर वहाँ विकास कार्य किये जाने के संबंध में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(iii). नगर विकास विभाग, राज्य सरकार की अन्य विभागों की योजनाओं यथा पर्यटन विभाग की सहभागिता योजना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी (सी.एस.आर.), व्यक्तियों या सस्थाओं द्वारा योगदान आदि के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत मानक के अनुसार उपयुक्त पाये गये स्थलो पर निर्धारित कार्य वांछित नियमों/दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(iv). वित्तीय वर्ष 2022 -2023 में 10 प्रतिशत से अधिक की राजस्व वसूली में वृद्धि करने वाली नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के स्थल को चयन में प्राथमिकता देने पर समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

(v). अभिसरण (Convergance) एवं सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से मा0 विधायक/सांसद निधि की धनराशि से भी इस योजना के दिशा-निर्देश के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य कराया जाना अनुमन्य होगा। जिस निकाय की योजना, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा चयनित की जायेगी, उस निकाय से संबंधित मा0 विधायक जी की विधायक निधि से सम्पूर्ण परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध, मा0 विधायक जी से जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मा. विधायक निधि से सम्पूर्ण परियोजना के लागत के न्यूनतम 10 प्रतिशत की प्राप्त धनराशि से परियोजना के कुल घटकों में से एक या एक से अनधिक कार्य (अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत) कराये जा सकेगे। ऐसे चिन्हित कार्य, मा0 विधायक निधि से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी। मा0 विधायक जी की अनुशंसा पर संबंधित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इस संबंध में स्थापित कार्यविधि के अनुसार अनुमन्य स्वीकृत कार्य कराया जायेगा। जिन मा0 विधायक जी द्वारा 10 प्रतिश्शत धनराशि के कार्यों की सहमति दी जायेगी, उनन स्थलों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi). जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिशा निर्देश के अनुरूप एक जिले के समस्त नगर पंचायतों एवं पालिका परिषदों में से सामान्यतः 02 स्थलों का चयन किया जाएगा।

(vii). विशेष परिस्थिति में मा0 विभागीय मंत्री जी की संस्तुति से दो से अधिक स्थलों के चयन पर विचार किया जाएगा।

(viii). प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों का आगणन तैयार कराकर नगरीय निकाय निदेशालय में प्राप्त कराया जायेगा तथा निदेशालय द्वारा संकलित सूचना शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(ix). जिन परियोजनाओं को 12 महीनों के भीतर पूरा किया जा सकता है, उनका चयन प्राथमिकता पर किया जायेगा और विशेष परिस्थितियों में निधि उपयोग को 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

(x).आगणन तैयार कराते समय मितव्ययिता का ध्यान रखा जायेगा तथा आगणन में जी0एस0टी0 व अन्य लागू कर सम्मिलित रखा जायेगा।

(xi).उपरोक्तानुसार सृजित सम्पत्तियों के अनुरक्षण व देखभाल का उत्तरदायित्व संबंधित नगर निकाय का होगा।

2.8 निधि आवंटन

1. योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपयोग केवल सांस्कृतिक, पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के चयनित स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास पर किया जायेगा।
2. योजना के अन्तर्गत नगर निकायों को निधि का स्थानान्तरण करने हेतु नगरीय निकाय निदेशालय स्तर पर धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के विकास हेतु **'वंदन' योजना** अनुदान के पद नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा, जिसमें से निधि का स्थानान्तरण अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से किया जायेगा।

2.9 वित्त-पोषण

1. वित्तीय वर्ष-2023-24 में इस योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 50.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक चयनित परियोजनाओं को कार्य योजना में सम्मिलित कर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार, वित्त विभाग की सहमति से अधिकतम धनराशि रूपये 02.00 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0 को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि को 02 समान किश्तों में संबंधित निकाय को प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के कम से कम 75 प्रतिशत का उपयोग/व्यय हो जाने के उपरान्त संबंधित निकाय द्वारा सक्षम तकनीकी अधिकारी के गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ कराये गये कार्य से संबंधित फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर ही जिलाधिकारी द्वारा अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3. निदेशालय द्वारा नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर लिंक/पोर्टल बनाया जायेगा, जहॉ पर फोटोग्रॉफ तथा अन्य सूचनाएँ फीड की जाएगी।

2.10 योजना का अनुश्रवण-

उपर्युक्त योजना का द्वि-स्तरीय अनुश्रवण किया जायेगाः-

(i) निकाय स्तरः- निकाय स्तर पर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा। संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यो का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

(ii) जिला स्तरः- विषयगत योजना हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने जिले से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यो का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

2.11 परियोजना की अवधि -

इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनायें प्रत्येक दशा में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन के पूर्व पूर्ण कर ली जायेगी। किन्ही कारणों से परियोजना विलम्बित होने पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा लिखित रूप से स्पष्टीकरण/औचित्य प्रस्तुत करते हुये नये समय सीमा के निर्धारण का औपचारिक आवेदन विभाग को किया जायेगा, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त विभाग द्वारा नई समय-सारणी निर्गत की जायेगी। इन निर्देशो के विपरीत कार्यदायी संस्था/निकाय द्वारा मनमाने ढंग से परियोजना विलम्बित करने पर शासन द्वारा उनके ऊपर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित/कार्यवाही किया जा सकेगा।

2.12 निर्माण कार्य का निष्पादन व संरचना :-

1. इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कार्यदायी संस्था संबंधित नगरीय निकाय/कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज होगी।

2. योजना के अन्तर्गत स्थलों का चयन, डी0पी0आर0 निर्माण एवं टेण्डर की प्रक्रिया निम्न विवरण के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 जुलाई तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा-

क्र.	कार्यवाही	नियत तिथि
1.	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष संबंधित निकायों द्वारा ऐसे स्थलों की चेकलिस्ट के अनुसार पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाना	30 अप्रैल, 2024 तक
2.	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा ऐसे स्थलों का चयन पूर्ण किया जाना	15 मई, 2024 तक
3.	जिलाधिकारी द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाना	31 मई, 2024 तक
4.	शासन द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति	30 जून, 2024 तक
5.	निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य प्रारम्भ किया जाना	31 जुलाई, 2024 तक

❖ वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) में उपर्युक्त कार्यवाही 30 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

भवदीय

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (शहरी) लखनऊ।
4. राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ0प्र0 लखनऊ।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।
7. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संलग्न-1

निकाय द्वारा परियोजना के संबंध में विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रारूप (चेक लिस्ट)

क्र0सं0	विवरण		आख्या
1	स्थल का नाम		
2	स्थल का महत्व (सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं एतिहासिक)		
3	स्थल के महत्व का विवरण (कम से कम 50 शब्दों में)		
4	क्या उक्त स्थल के प्रबन्ध हेतु कोई समिति गठित है तो (विवरण)		
5	उक्त स्थल की भूमि, भू-अभिलेखों में किनके नाम दर्ज है ?		
6	क्या उक्त स्थल का प्रबंधन कोई शासकीय विभाग करता है तो (विवरण)		
7	स्थल पर प्रतिमाह आने वाले आगन्तुको की संख्या		
8	आगन्तुकों के आने का साधन (बस/टैक्सी/ई-रिक्शा इत्यादि)		
9	वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था/जगह का विवरण		
10	मुख्य सड़क से सम्पर्क मार्ग की स्थिति (लम्बाई/चौडाई तथा भौतिक स्थिति)		
11	स्थल पर बरसात एवं धूप से बचने के लिए कोई छादन (शेड) की व्यवस्था है अथवा नहीं। यदि यह व्यवस्था पहले से है तो किस विभाग की किस योजना से अच्छादित है।		
12	स्थल पर बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है अथवा नही। यदि यह व्यवस्था पहले से है तो किस विभाग की किस योजना से आच्छादित है एवं आने वाले लोगो के हिसाब से पर्याप्त है अथवा नही।		
13	स्थल पर पेयजल की समुचित व्यवस्था है अथवा नही। यदि यह व्यवस्था पहले से है तो किस विभाग की किस योजना से अच्छादित है एवं वर्तमान में पूर्ण रूप से संचालित है अथवा नही।		
14	स्थल पर जल निकासी एवं जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था है अथवा नही। यदि यह व्यवस्था पहले से है तो किस विभाग की किस योजना से आच्छादित है।		
15	स्थल पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था है अथवा नही। यदि यह व्यवस्था पहले से है तो किस विभाग की किस योजना से आच्छादित है एवं वर्तमान में पूर्ण रूप से संचालित है अथवा नही।		
16	आयोजन का विवरण तथा समय	विभाग का नाम	सहायता की राशि
	क्या उक्त स्थल पर विभिन्न आयोजन हेतु शासन के किसी विभाग से कोई सहायता मिलती है ? (विवरण)		
17	स्थल पर यथा आवश्यकता परिक्रमा इत्यादि के लिए इंटरलाकिंग की व्यवस्था है अथवा नही। यदि यह व्यवस्था पहले से है तो किस विभाग की किस योजना से अच्छादित है।		
18	प्रस्तावित आवश्यक कार्य		
19	क्या क्रमांक-18 में वर्णित कार्यो हेतु भूमि/स्थान उपलब्ध है ?		
20	प्रस्तावित कार्यो से क्या लाभ होगा ? पूर्ण विवरण।		